

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक 1093/

पटना, दिनांक 15/3/16

सं० सं०-05/उ०नि०ब० (पुनर्विनियोग) 03/2015

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०)
बिहार, पटना।

द्वारा :-

वित्त विभाग।

विषय :-

संलग्न विवरणी के अनुदान संख्या 23 के मुख्य शीर्ष-2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-107 रेशम उत्पादन उद्योग, मांग संख्या-23, उपशीर्ष-0001 रेशम का विकास, विपत्र कोड N2851001070001 विषय शीर्ष 1101 यात्रा व्यय तथा 1302 वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव मद में कुल रू० 2,70,000 (दो लाख सत्तर हजार) मात्र के पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

आदेश :-

बिहार वित्तीय नियमावली खण्ड-I के नियम 489 के अन्तर्गत स्वीकृत।

2-

राशि का विकलन मुख्यशीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-107 रेशम उत्पादन उद्योग, मांग संख्या-23, उपशीर्ष-0001 रेशम का विकास, विपत्र कोड N2851001070001 विषय शीर्ष 1304 विद्युत प्रभार, 1305 विधि प्रभार तथा 2002 कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार मद में कुल रू० 2,70,000 (दो लाख सत्तर हजार) मात्र बचत की राशि से विकलित होगा।

3-

इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक उद्योग निदेशक (रेशम), पटना/पूर्णिया/मुजफ्फरपुर/भागलपुर, परियोजना पदाधिकारी, मलवरी प्रसार सह प्रशिक्षण केन्द्र, सहरसा/ढेकसार (किशनगंज)/मुशहरी (मुजफ्फरपुर)/रानीपोखर (वैशाली) तथा प्राचार्य, बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान, नाथनगर (भागलपुर) होंगे।


4-

इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना तथा जिला कोषागार, पटना/पूर्णिया/मुजफ्फरपुर/भागलपुर/सहरसा/किशनगंज/वैशाली से की जाएगी।

5-

प्रस्ताव में सचिव (संसाधन), वित्त विभाग की सहमति संचिका संख्या 05/उ०नि०ब० (पुनर्विनियोग) 03/2015 के पृष्ठ 15/टि० पर दिनांक 08.03.2016 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



14/3/2016
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

कृ० पृ० उ०

ज्ञापांक 1093 /

पटना, दिनांक 15/3/16


प्रतिलिपि :- सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना तथा जिला कोषागार, पटना/पूर्णिया/मुजफ्फरपुर/भागलपुर/सहरसा/किशनगंज/वैशाली के कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1093 /

पटना, दिनांक 15/3/16

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/उप सचिव, बजट शाखा, वित्त विभाग/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/श्रीमती विक्टोरिया पूर्ति, उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, उप उद्योग निदेशक (योजना) उद्योग निदेशालय/आईटीओ मैनेजर, उद्योग विभाग/सहायक उद्योग निदेशक (रेशम), पटना/पूर्णिया/मुजफ्फरपुर/भागलपुर/परियोजना पदाधिकारी, मलवरी प्रसार सह प्रशिक्षण केन्द्र, सहरसा/ढेकसार (किशनगंज)/मुशहरी (मुजफ्फरपुर)/रानीपोखर (वैशाली) तथा प्राचार्य, बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान, नाथनगर (भागलपुर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

15